21/10/21 पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान ग्रा०प० होदायली मे पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित है। अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं है। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल आर एक्ट 1956 बाबत करवाये जाने सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी की आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1, 11, 12, 13, 14 व 26 कुल किता 6 कुल रकबा 17 हैक्टे० ख०न० 2 रकबा 5.56 हैक्टे० वाके ग्राम होदायली स्थित है जिसमे प्रार्थी का हिस्सा 3/8 एवं 4/5 जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड दर्ज है। उक्त आराजी कृषि भूमि शुभानपुरा ग्राम की सीमा पर स्थित है। जिसके पास पडौसी अप्रार्थीगण ख० 1 व 2 की कृषि भूमि ख०न० 18, 20, 25, 28/36, 30 कुल किता 5 कुल रकबा 41 बीघा 10 बिस्वा एवं अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 6 की कृषि भूमि आराजी ख०न० 38 रकबा 0.48 हैक्ट० एवं आराजी ख०न० 29 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम शुभानपुरा मे स्थित है। प्रार्थी द्वारा प्रा० पत्र पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम होदायली व शुभानपुरा तहसील - लालसोट मे - सीमाचिन्ह (सीमांकन) बाबत लगाये गये पत्थरलेखो - (सीमा-चिन्ह) को अप्रार्थीगण द्वारा नष्ट कर दिया है तथा अप्रार्थीगण जबरन प्रार्थी की कृषि भूमि मे प्रवेश कर हैरान, परेशान करते है। अतः प्रार्थी की आराजी वादग्रस्त कृषि भूमि का सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी कायम करवाई जावे।

पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। मुताबिक जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड प्रार्थी आराजी वादग्रस्त का खातेदार है। प्रकरण मे प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 128 LR Act-1956 न्यायहित मे स्वीकार किया जाना उचित समझते है अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लालसोट को निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार सीमाज्ञान किया जाकर पत्थरगढ़ी कायम की जावे। तथा नियमानुसार शुल्क लिया जाकर राजकोष मे जमा करावे। इस हेतु तहसीलदार लालसोट को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

[signature]

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट, जिला-दौसा (राज.)